भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4209

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्रक रूपरेखा

4209. श्री बिद्युत बरन महतोः

श्री गजानन कीर्तिकरः

श्री सुधीर गुप्ताः

श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में विद्युत क्षेत्रक हेतु रूपरेखा बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कदम के पीछे क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल में उक्त प्रयोजन हेतु कंपनी कार्यकारियों सहित प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक आयोजित की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें किन मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में सभी को सस्ती और बाधारहित विद्युत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख) : वित्तीय रूप से व्यवहार्य, पर्यावरणीय रूप से स्थिर तथा बाजार परिचालित विद्युत क्षेत्र का लक्ष्य प्राप्त करने एवं ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने तथा सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र के लिए 'फाईव ईयर विजन डॉक्यूमेंट' तैयार करने का निर्णय लिया गया है। विद्युत क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ-साथ स्थिरता एवं ऊर्जा सुरक्षा के लिए इष्टतम स्रोतों को मिलाना, विद्युत

क्षेत्र निकायों की वित्तीय व्यवहार्यता तथा दक्ष, पारदर्शी विद्युत बाजारों का विकास शामिल है। विजन डॉक्यूमेंट में इस मंत्रालय के उक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीतिगत पहले, मुख्य निष्पादन सूचक (केपीआई) शामिल होंगे।

(ग) और (घ) : 1 जुलाई, 2019 को विचार-विमर्श सत्र का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य पणधारकों अर्थात भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, विद्युत उत्पादन कंपनियों, विद्युत वितरण कंपनियों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों तथा ऊर्जा विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। इस बैठक में विद्युत क्षेत्र द्वारा सामना की गई मुख्य चुनौतियों तथा विजन डॉक्युमेंट में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों तथा कार्य नीतियों पर चर्चा की गई थी।

(ङ) : विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकारों/डिस्कॉमों/विद्युत यूटिलिटियों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती है। तथापि भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने तथा कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ संयुक्त पहल की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राज्यों को उनकी वितरण अवसंरचना में सुधार करने के लिए सक्षम बनाने हेतु कई योजनाएं जैसे- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) की शुरुआत की है।

******